रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2014/वैशाख 29, 1936
No. 151] NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2014/VAISAKHA 29, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 13 मई, 2014

सं. टीएएमपी/46/2009–एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, मुम्बई पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/46/2009–एमबीपीटी

कोरम :

(i). श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अप्रैल 2014 के 4थें दिन पारित)

यह मामला मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से सम्बंधित है।

2. एमबीपीटी का मौजूदा दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/46/2009–एमबीपीटी दिनांक 11 अक्तूबर, 2011, जिसे 22 नवम्बर, 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2014 तक निर्धारित करता है।

3. एमबीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2013 द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव पर संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों के साथ विचार–विमर्श किया गया था। तत्पश्चात, एमबीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 23 सितम्बर, 2013 द्वारा विषय प्रस्ताव पर निर्धारित प्रारूपों में न्यासी संकल्प की कार्यवाही एवं लागत विवरणों की प्रति अग्रेषित की थी। तदनुसार, एमबीपीटी पत्र दिनांक 23 सितम्बर, 2013 की प्रति संलग्नकों के साथ संबद्ध उपयोक्ताओं को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थी। कुछ उपयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियां एमबीपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थी।

4. एमबीपीटी का प्रस्ताव आंतरिक संवीक्षाधीन है। परामर्शी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में संयुक्त सुनवाई निर्धारित की जानी है।

5. मौजूदा दरमान की वैधता 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो गई थी। इस स्थिति को स्वीकार करते हुए कि प्रस्ताव की आंतरिक संवीक्षा पूरी की जानी है और संयुक्त सुनवाई निर्धारित की जानी है, इस मामले पर अंतिम रूप से विचार करने में समय लगेगा। अतः यह प्राधिकरण एमबीपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता को 30 जून, 2014 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख, जो भी पहले हो, तक विस्तारित करता है।

6. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल, 2013 के बाद प्रोद्भूत होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष अगले चक्र के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th May, 2014

No. TAMP/46/2009-MBPT.— In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of Mumbai Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/46/2009-MBPT

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 4th day of April, 2014)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Mumbai Port Trust (MBPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of MBPT was last approved by this Authority vide Order No.TAMP/46/2009-MBPT dated 11 October, 2011 which was notified in the Gazette of India on 22 November, 2011. The Order prescribes the validity of the existing SOR till 31 March, 2014.

3. The proposal filed by the MBPT vide its letter dated 20 July, 2013 has been taken on consultation with the concerned users/user associations. Subsequently, the MBPT vide its letter dated 23 September, 2013 has forwarded the copy of the proceeding of Trustees Resolution as well as Cost Statements in the prescribed formats on the subject proposal. Accordingly, a copy of the MBPT letter dated 23 September, 2013 has been forwarded to the concerned users along with enclosures for their comments. Comments received from some of the users have been forwarded to the MBPT from time to time as feedback information.

4. The proposal of the MBPT is under internal scrutiny. Joint hearing as the part of consultative process is to be fixed.

5. The validity of the existing SOR expired on 31 March, 2014. Recognizing the position that the internal scrutiny of the proposal is to be completed and joint hearing is also to be set up, it will take time for this case to mature for final consideration. This Authority, therefore, extends the validity of the existing SOR of the MBPT till 30 June, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return accrues to the MBPT post 1 April 2014, during the review of its performance, such additional surplus will be fully adjusted in the tariff to be fixed for the next cycle.

T. S. BALASUBRAMANIAN**,** Member (Finance)

[Advt. III/4/Exty./143/2014]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.